

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
विक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग  
लखनऊ।

चल/अचल सम्पत्ति क्रय करने हेतु अनुमति

1. विक्री का नाम, पता तथा व्यवसायः .....  
2. क्रेता एवं विक्रेता के मध्य सम्पत्ति को:  
निश्चित की गई कीमत।  
3. सम्पत्ति क्रय करने हेतु धनराशि का स्रोतः .....  
4. क्या क्रय किसी प्रसिद्ध अथवा स्थायीः  
अधिकृत विक्रेता/आढतिया के माध्यम से  
प्रस्तावित है यदि हाँ, तो अधिकृत विक्रेता/  
आढतिया का पत्र संलग्न करें।  
5. सम्पत्ति का विस्तृत विवरणः .....  
6. प्रमाण पत्र कि प्रार्थी का विक्रेता से कोईः  
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष विभागीय सम्बन्ध  
नहीं है।

(परि दादेश संख्या-4774-जी०एम०/राविप-///-75-ए/72  
दिनांक 12.10.1976 द्वारा निर्धारित)

हस्ताक्षरः  
नामः  
पदनामः  
अनुभागः